आदेश–पत्रक

(देखें, अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–आपूर्ति अपील वाद सं0 02/2015-16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
13.06.2017	<u>आदेश</u>	

प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0–02/2013–16 नन्द किशोर प्रसाद, पे0–स्व0 नूनूलाल महतो, ग्राम–रानीसकरपुरा, थाना–खगड़िया (गंगौर), जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 221/अनु0 आपूर्ति दिनांक–09.04.2015 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है।

दाखिल अपील में कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–221, दिनांक–09.04.2015 द्वारा जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–11K/2007 इसलिए रद्द कर दिया गया कि पी0डी0एस दूकान निरीक्षण के समय बन्द था और नोटिस बोर्ड अद्यतन नहीं था और भंडार पंजी, वितरण पंजी उनके परिवार के सदस्य द्वार प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि न्यायिक रूप से बिना कारण पुच्छा के अवलोकन किये अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। उनके द्वारा इस वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग कर अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक–221, दिनांक–09.04.2015 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में अपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा दिनांक– 27.03.2015 को नन्द किशोर प्रसाद, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, रानीसकरपुरा, प्रखंड खगड़िया के दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दूकान बन्द पाया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में पारित आदेश का उल्लंघन है।

निरीक्षण के समय सूचना पट्ट अद्यतन नहीं पाया गया। भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की मांग किए जाने पर परिवार के सदस्यों द्वारा चाभी नहीं रहने का बहाना बनाया गया जिस कारण पूर्णरूपेण भंडार की जाँच नहीं की जा सकी। उपभोक्ता द्वारा दिखाये गये राशन कार्ड में खाद्यान की प्रविष्टि नहीं पायी गयी।

उक्त जाँच के आलोक में ज्ञापांक 202/अनु0 आपूर्ति,

दिनांक– 29.03.2015 से जन वितरण प्रणाली बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा दिनांक–07.04. 2015 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया।

उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा निरीक्षण के क्रम में पाए गए अनियमितता एवं पी0डी0एस0 कंट्रोल ऑडर 2001 की धारा 7 (1) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पी0यू0सी0एल0 196/2001 के पारित आदेश के अनुपालन में ही नन्द किशोर प्रसाद जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, ग्राम–रानी सकरपुरा, खगड़िया प्रखंड के अनुज्ञप्ति सं0–11K/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया।

अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं।

अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है, परन्तु उनकी लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में और कोई तथ्य प्रस्तुत नही करना है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी नन्द किशोर प्रसाद द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तो का घोर उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक–221/अनु0 आपूर्ति, दिनांक–09.04.15 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया। 3/6/17

समाहर्त्ता, खगड़िया। 3/6/17